चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 06.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति पाने वाले उपनिरीक्षक श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के कन्धों पर स्टार लगाकर अलंकृत किया गया । इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोन्नति पाने वाले निरीक्षक शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय का मुंह मीठा कराया गया तथा मन लगन से ड्यूटी करने हेतु बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी ।

इस दौरान वाचक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रभारी सोशल मीडिया सेल श्री विनोद कुमार राय,प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं कार्यालय में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें ।

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिहं के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा एवं उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.02.2026 को थाना बहिलपुरवा क्षेत्रान्तर्गत एक वादी द्वारा थाना बहिलपुरवा पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त जानकी शरण द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ बलात्कार करना,गर्भवती कर देना तथा किसी को न बताने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 06/2026 धारा 64(1),127, 351(3) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम जानकी शरण पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्राप्त साक्ष्य व बयान के आधार पर आज दिनाँक 06.02.2026 को उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थानाध्यक्ष बहिलपुरवा व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जानकी शरण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थानाध्यक्ष बहिलपुरवा

2.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह

3.आरक्षी मोनू राय

4.महिला आरक्षी रीना यादव

5.मुख्य आरक्षी चालक राजकुमार यादव

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 06.02.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2023 धारा 174ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अवधेश पुत्र हरिओम पाण्डेय व अभियुक्ता विद्यादेवी पत्नी हरिओम निवासीगण औझर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 500/-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।